हरित ऊर्जा मुक्त पहुँच विनियमों में संशोधन किया

चर्चा में क्यों?

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने अपने ग्रीन एनर्जी **ओपन एक्सेस विनियम, 2023 में संशोधन किया है।**

मुख्य बिंदु

- **खुली पहुँच के लिये विस्तारित पात्रता:**
  - **100 किलोवाट या उससे अधिक** की अनुबंधित मांग वाले उपभोक्ता, चाहे एकल कनेक्शन के माध्यम से या वितरण लाइसेंसधारी के एक ही विद्युत परिचालन प्रभाग के अंतर्गत **100 किलोवाट या उससे अधिक की कुल क्षमता वाले एकाधिक कनेक्शनों के माध्यम से, अब हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के लिये पात्र हैं।**
- **अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त अधिभार छूट बढ़ाई गई:**
  - **दिसंबर 2032** तक चालू की गई अपतटीय पवन **परियोजनाओं** से उत्पन्न बिजली और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली बिजली को अतिरिक्त अधिभार से छूट दी जाएगी। यह पिछली छूट को आगे बढ़ाता है, जो केवल **दिसंबर 2025 तक लागू थी।**
- **गैर-स्वतंत्र फीडर उपभोक्ताओं के लिये खुली पहुँच पर स्पष्टीकरण:**
  - **स्वतंत्र फीडरों** से जुड़े नहीं रहने वाले पात्र उपभोक्ता ओपन एक्सेस का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते वे **सिस्टम की बाध्यताओं** और अपने **वितरण लाइसेंसधारी** द्वारा लगाए गए किसी भी **बिजली कटौती प्रतिबंध को स्वीकार करें।** ऐसे प्रतिबंधों के कारण कम निकासी की भरपाई नहीं की जाएगी।

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC)

- इसकी स्थापना **17 अगस्त 1998 को हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997** के प्रावधान के अनुसार एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय **के रूप में की गई थी।**
- हरियाणा **भारत का दूसरा राज्य था जिसने** विद्युत क्षेत्र में **सुधार एवं पुनर्गठन** की प्रक्रिया शुरू की।
- **हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 को** हरियाणा **राज्य विधानसभा** द्वारा **22 जुलाई 1997** को पारित किया गया था। **20 फरवरी 1998** को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, यह अधिनियम 14 अगस्त 1998 को लागू हुआ।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/green-energy-open-access-regulations-amended